परमजीत सिंह उर्फ मिट्ठू सिंह

बनाम

स्टेट ऑफ पंजाब जरिये सचिव

31 अक्टूबर, 2007

[पी.पी. नौलेकर और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302/34- हत्या- चार अभियुक्तों ने पीड़ित पर गंडासे से हमला किया -जिसमें पीड़ित की मृत्यु हो गई- अधिनिर्णीतः किसी आरोपी को धारा 34 के तहत परोक्ष रूप से दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आरोपी द्वारा घातक चोटें कारित की गईं- यदि साक्ष्य किसी भी अभियुक्त के उस स्पष्ट कार्य का खुलासा करता है जो उसने समूह को सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था- अपीलार्थी का सामान्य इरादा इस तथ्य से स्पष्ट है कि वह एक घातक हथियार गंडास से लैस था और उसने पीड़ित को दो चोटें पहुंचाई- सभी अभियुक्तों ने पीड़ित पर हमला किया और उसकी हत्या करने के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए उसे चोटें पहुंचाई- अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई

चोटों की प्रकृति और सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु का कारण बनने के लिए उनकी पर्याप्तता महत्वहीन हो जाती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 154- एफ़.आई.आर.- दर्ज करने में देरी- अधिनिर्णीतः घटनाओं के अनुक्रम से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में कोई अस्पष्ट या अनुचित देरी नहीं हुई थी।

पंजाब पुलिस के तहत दर्ज की गई एफ.आई.आर. और डी.डी.आर.- उनके तथ्यों में अंतर- अधिनिर्णीतः अलग-अलग संस्करण का संकेत देने वाली और साक्ष्य को बंद करने के चार साल बाद दायर की गई डी.डी.आर. की फोटोकॉपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है- इसके अलावा, पंजाब पुलिस के नियम जिनके तहत डी.डी.आर. तैयार किया जाता है, वह सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते- सभी मामलों का परीक्षण डी.डी.आर. में की गई प्रविष्टियों के आधार पर नहीं किया जा सकता।

साक्ष्यः

चश्मदीद गवाह का मौखिक साक्ष्य संख्या के अनुरूप नहीं है और पीड़ित के शरीर पर चोटों की स्थिति पाई गई- अधिनिर्णीतः जो घटनास्थल पर गवाह की उपस्थिति को संदिग्ध नहीं बनाता है।

जाँच- अधिनिर्णीतः जांच में कोई दोष या प्रक्रियात्मक अनियमितता स्वयं मुकदमे को दूषित या रद्द नहीं कर सकती है।

अपीलार्थी (ए-4), उसके दो भाइयों (ए-1 और ए-2) और एक भतीजे (ए-3) पर अपने ही भाई की मौत के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि ए-3 के पिता अपना घर बेचना चाहते थे जिसका मृतक ने विरोध किया था, इस पर अभियुक्त के विरुद्ध दुर्भावना पैदा हो गई। दिनांक 06.05.1989 को लगभग शाम 7 बजे अभियुक्त ने पी.डब्ल्यू.-3 की उपस्थिति में मृतक पर गंडासों और सुमेवाली डांग से हमला कर दिया। जिस पर पी.डब्ल्यू.-3 ने अलार्म बजाया जिसके बाद पी.डब्ल्यू.-4 और परिवार की एक महिला सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे जहां से आरोपी फरार हो गए। पीड़ित को पहले उनके फार्म हाउस और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर (पी.डब्ल्यू.-6) ने पीड़ित को सिविल अस्पताल भेज दिया, बाद में पीड़ित की उसी रात सिविल अस्पताल में मौत हो गई और इसके बाद पी.डब्ल्यू.-3 ने दिनांक 07.05.1989 कोरात करीब 1.15 बजे एफ.आई.आर. दर्ज कराई। निचली अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी हुई थी। अभियोजन पक्ष का यह कथन कि अभियुक्त गंडासों से लैस थे, डी.डी.आर. सामग्री द्वारा समर्थित नहीं था जिसमें उल्लेख किया गया था कि आरोपी सोटियों से लैस थे। घटना स्थल

पर पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 की उपस्थिति की संभावना नहीं थी क्योंकि जब पीड़ित पर हमला किया जा रहा था तब उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया था और पी.डब्ल्यू.-4 का नेत्र संबंधी संस्करण, शव पर चोटों की संख्या और स्थिति के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप नहीं था। उक्त निर्णय की अपील होने पर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया और ए-3 को धारा 302 के तहत और ए-4 को धारा 302/34 आई.पी.सी. के तहत दोषी ठहराया।

ए-4 द्वारा दायर त्वरित अपील में निचली अदालत के निष्कर्षों का समर्थन करते हुए अपीलकर्ता के लिए यह अतिरिक्त तर्क दिया गया था कि उसके द्वारा पहुंचाई गई चोटें पीड़ित की मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं और इस तरह मारने का सामान्य इरादा स्पष्ट नहीं था इसलिए, अपीलार्थी को आई.पी.सी. की धारा 34 की सहायता से धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई और अभिनिर्धारित किया गया।

1.1. घटनाओं के क्रम से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में कोई अस्पष्ट और अनुचित देरी नहीं हुई थी। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि घटना दिनांक 06.05.1989 को शाम 7 बजे एक गांव में हुई थी। घायल को पहले उसके

फार्म हाउस ले जाया गया और उसके बाद रात 09.10 बजे बैलगाड़ी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पी.डब्ल्यू-6 डॉक्टर, जिसने घायल का इलाज किया था, ने रात 9.25 बजे रुक्का पुलिस स्टेशन भेजा और घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में पी.डब्ल्यू.-6 के साक्ष्य निर्विवाद हैं और उनके साक्ष्य के किसी भी हिस्से पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। घायल ने सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद ही पी.डब्ल्यू.-3 पुलिस स्टेशन गया जो अस्पताल सेलगभग 9-10 किलाेमीटर की दूरी पर है, और दिनांक 07.05.1989 को 1.15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा भेजी गई विशेष रिपोर्ट सुबह 5 बजे इलाका मजिस्ट्रेट के पास पहुंची। [पैरा 11] [786-ई; 785-ई-एच; 786-ए-बी]

1.2. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एफ.आई.आर. उस समय दर्ज की गई थी जिस समय इसे कथित रूप से दर्ज किया गया था, अदालतें आम तौर पर कुछ बाहरी जांचों की तलाश करती हैं। एफ.आई.आर. की प्रति, जिसे इलाका मजिस्ट्रेट द्वारा एक विशेष रिपोर्ट कहा जाता है, दूसरी बाहरी जांच भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी मृत शरीर के साथ एफ.आई.आर. की प्रति भेजना और उसके संदर्भ में जांच रिपोर्ट। मौजूदा मामले में दोनों आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा दिनांक 07.05.1989 को सुबह 1.15 बजे पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और इलाका

मजिस्ट्रेट को समय पर विशेष रिपोर्ट भेजने का उल्लेख है। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि एफ.आई.आर. समय से पहले की थी और कुछ विचार विमर्श के बाद अस्तित्व में लाई गई थी। [पैरा 11] [786-बी-ई]

2.1. डी.डी.आर. में की गई प्रविष्टियाँ जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आरोपी सोटिस से लैस थे, यह नहीं कहा जा सकता कि पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को गलत साबित करता है। पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-7 के बयानों से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले दर्ज की गई थी और उसके बाद डी.डी.आर. दर्ज की गई थी और डी.डी.आर. में प्रविष्टियां एफ.आई.आर. में दिए गए तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई थीं। डीडीआर की मूल प्रति अदालत में दाखिल नहीं की गई है और साक्ष्य बंद होने के चार साल बाद अदालत के समक्ष पेश की गई डी.डी.आर. की फोटोकॉपी पर कोई भरोसा करना मुश्किल है। यहां मूल डी.डी.आर. के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। डी.डी.आर. में की गई प्रविष्टियों के आधार पर एफ.आई.आर. के समय और सामग्री पर संदेह करना संभव नहीं है, दस्तावेज़ डी.डी.आर. की वास्तविकता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। इसके अलावा, जांच में पाया गया कोई भी दोष, यदि कोई हो, गंभीर हो तो उसका संज्ञान या मुकदमे से संबंधित क्षमता या प्रक्रिया पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। जांच में कोई दोष या प्रक्रियात्मक अनियमितता, यदि कोई हो, तो ऐसी गलत जांच के आधार पर मुकदमे को

दूषित या रद्द नहीं किया जा सकता है। [पैरा 12 और 14] [786-एफ-एच-जी; 787-ए; 788-ए-बी, सी, डी]

2.2. किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी के पंजीकरण और जांच की प्रक्रिया के संबंध में प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XII द्वारा संरचित और विनियमित है। निर्धारित प्रक्रिया का पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाना आवश्यक है। पंजाब पुलिस नियम किसी भी तरह से आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। उक्त नियम राज्य में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए हैं और संहिता के प्रावधानों के पूरक हैं, लेकिन उनका स्थान नहीं लेते हैं। सभी मामलों में एफ.आई.आर. की सामग्री की सच्चाई और सच्चाई का परीक्षण पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी में की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है, जिसे पंजाब पुलिस नियमों के तहत बनाए रखा जाता है। [पैरा 13] [787-एफ-एच]

3.1. यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने घटना को नहीं देखा। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि पी.डब्ल्यू.-3 और मृतक लगभग अपने घर पहुंच चुके थे जब उन्हें आरोपियों ने रास्ते में रोक लिया। अपीलकर्ता और ए-3 गंडासों से लैस थे और ए-1 डांग से लैस

था। जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है, एक सार्वभौमिक मानदंड लागू करना लगभग असंभव होगा कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 की उपस्थिति पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने मृतक को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया है। तथ्य यह है कि आरोपी घातक हथियारों से लैस थे और उसी ने उन्हें डरा दिया होगा। जब पीड़ित पर हमला हो रहा था तो उसे बचाने के किसी भी प्रयास में पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। (पैरा 15] [788-ई-जी]

3.2. यह सच है कि पी.डब्ल्यू.-4 शव पर लगी चोटों की स्थिति के बारे में सटीक रूप से बताने में सक्षम नहीं था, लेकिन इससे उसकी उपस्थिति संदिग्ध नहीं होगी। पीड़ित पर घातक हथियारों से लैस व्यक्तियों के एक समूह ने हमला किया था। कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसी स्थिति में गवाह चोटों की प्रकृति का रेखांकन करेगा और पीड़ित के शरीर पर चोटों की स्थिति को सटीक रूप से बताएगा। तथ्य यह है कि चारों आरोपियों ने मृतक को रास्ते में लिटा दिया और उसके बाद गंडासे और डैंगा से उस पर कई वार किए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि डॉक्टर, (पी.डब्ल्यू.-1) ने पोस्टमार्टम के समय शव पर 6 चोटें पाई थीं। [पैरा 16 और 17] [788-एच; 789-ए-बी-सी]

4. पी.डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य में यह है कि ए-3 ने चोट नं. 1 के द्वारा पीड़ित के सिर पर गंडासों से वार किया गया जबकि अपीलकर्ता ने कई चोटें पहुंचाईं। उसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे गंडासे से 3 और 4 वार किए और सीने के बाईं ओर गंडासे के उलटे हिस्से से दूसरा वार किया। धारा 34 के तहत व्यक्ति को परोक्ष रूप से दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आरोपी ने ऐसे प्रत्यक्ष कृत्य में शामिल होकर घातक चोटें पहुंचाई थीं। यह पर्याप्त है कि अगर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि एक या अधिक आरोपियों का प्रत्यक्ष कार्य सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा साझा किया गया सामान्य इरादा इस तथ्य से स्पष्ट है कि वह गंडासों एक घातक हथियार से लैस था, और उसने पीड़ित को दो चोटें पहुंचाईं। सभी आरोपियों ने मृतक पर हमला किया और उसकी हत्या करने के सामान्य इरादे से उसे चोटें पहुंचाईं। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित को पहुंचाई गई चोटों की प्रकृति और क्या वे चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए सामान्य प्रक्रिया में पर्याप्त थीं, महत्वहीन हो जाती हैं। [पैरा 17 और 18] [790-बी-सी; एह]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1474/2005

उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ के आपराधिक अपील संख्या 25 में दिनांक 27.09.2004 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से- जन कल्याण दास एवं अविजीत भुजावल।

उत्तरदाता की ओर से- कुलदीप सिंह।

न्यायालय के न्यायाधिपति जिनके द्वारा निर्णय सुनाया गया-

बी.सुदर्शन रेड्डी, J.

1. अपीलकर्ता ने आपराधिक अपील संख्या 25 डीबीए/1995 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के साथ पढ़ी जाने वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 379 के तहत यह अपील 1995 की संख्या 25-डीबीए की है। जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ बरी करने के फैसले को पलट दिया जिस पर तीन अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाया गया था, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगरूर ने 1989 के सत्र मामले संख्या 44 में दर्ज किया था। तदनुसार, अदालत ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और आजीवन कारावास और रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। 5000 का जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि आरोपी मुख्तियार सिंह (ए-1) और गुरदयाल सिंह (ए-2) और मृतक हरनेक सिंह सगे भाई थे। परिवार में कुल मिलाकर आठ भाई हैं। मृतक हरनेक सिंह अपनी पत्नी तेज कौर और बेटे गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) के साथ अपने एक भाई अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) के साथ संयुक्त रूप से रह रहे थे। गुरदेव सिंह और दलबारा सिंह, दो अन्य भाई एक साथ रहते थे जबकि अन्य अपनी कृषि भूमि पर स्थित अपने-अपने घरों में अलग-अलग रहते थे। गुरचरण सिंह (ए-3) और मिट्ठू सिंह (ए-4) के पिता दलीप सिंह अलग-अलग रह रहे थे। कहा जाता है कि दलीप सिंह ने अपना घर बाबू सिंह, बालक सिंह और उनके बेटों को बेचने के लिए एक समझौता किया था, लेकिन इसे नियमित बिक्री में तब्दील नहीं किया जा सका क्योंकि हरनेक सिंह ने सौदे में हस्तक्षेप किया था। तदनुसार, आरोपी ने बिक्री लेनदेन में अनुचित हस्तक्षेप को लेकर हरनेक सिंह के प्रति द्वेष विकसित कर लिया। 3. दिनांक 6.5.1989 को लगभग 7.00 बजे अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और मृतक हरनेक सिंह खेतों में अपने घरों की ओर जा रहे थे जबकि तेज कौर और गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) पहले से ही घर में मौजूद थे। मृतक हरनेक सिंह और अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) ने चारों आरोपियों को मुख्तियार सिंह (ए-1) के घर के बाहर खड़े देखा। मुख्तियार सिंह (ए-1) सुमेवाली डांग से लैस थे, गुरचरण सिंह उर्फ चरना (ए-3) और अपीलकर्ता दोनों एक-एक गंडासों से लैस थे। गुरदयाल सिंह (ए-2) ने

ललकारा कि हरनेक सिंह को दलीप सिंह की संपत्ति के सौदे में हस्तक्षेप करने के लिए सबक सिखाया जाना चाहिए और उसे मार दिया जाना चाहिए, जिस पर बाकी तीन आरोपियों ने हरनेक सिंह को कई चोटें पहुंचाईं। अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) ने शोर मचाया, जिससे तेज कौर और गुरमेल सिंह मौके पर आ गए और उन्होंने भी घटना देखी। आरोपी घटना स्थल से भाग गये। अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) द्वारा हरनेक सिंह को पहले उनके फार्म हाउस और फिर सिविल अस्पताल, लोंगोवाल ले जाया गया। रात के करीब 9.10 बजे थे डॉ. राकेश जैन (पी.डब्ल्यू.-6) हरनेक सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत उसे सिविल अस्पताल, संगरूर रेफर कर दिया। डॉ. राकेश जैन (पी.डब्ल्यू.-6) ने रात करीब 9.25 बजे एसएचओ, पुलिस स्टेशन, लोंगोवाल को सूचना भेजी, हालांकि, सिविल अस्पताल, संगरूर पहुंचने के तुरंत बाद हरनेक सिंह की मृत्यु हो गई। अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) अपने भाई गुरदेव सिंह के साथ अस्पताल छोड़कर दिनांक 07.05.1989 को लगभग 1.15 बजे पुलिस स्टेशन लोंगोवाल पहुंचे और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) शव के पास अस्पताल में थे। इलाका मजिस्ट्रेट, संगरूर को भेजी गई विशेष रिपोर्ट सुबह 5 बजे पहुंची। जांच पूरी होने पर पुलिस ने गुरचरण सिंह उर्फ चरना (ए-3) के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया, जबकि अन्य आरोपी पर आईपीसी की धारा

302/34 के तहत आरोप लगाया गया । अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया।

4. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित करने के लिए डॉ. केएस रायखी (पी.डब्ल्यू.-1) के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया और उस पर छह चोटें पाईं, तीन कटे हुए और तीन कटे हुए; अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4), दो चश्मदीद गवाह; एएसआई, मलिकत सिंह (पी.डब्ल्यू.-5), जांच अधिकारी और डॉ. राकेश जैन (पी.डब्ल्यू.-6), जिन्होंने सबसे पहले सिविल अस्पताल, लोंगोवाल में घायलों का इलाज किया।

5. ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों की सराहना करते हुए सभी आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि चश्मदीद गवाह अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) की उपस्थिति असंभावित थी क्योंकि उन पर मुहर लगी गवाह नहीं थी और उन्होंने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया था जब हरनेक सिंह पर हमला किया जा रहा था। अदालत ने यह भी पाया कि गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) स्पष्ट रूप से घटनास्थल पर मौजूद नहीं था क्योंकि उसका नेत्र संबंधी बयान शव पर चोटों की संख्या और स्थिति के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप नहीं था। निचली अदालत ने डी.डी.आर. (Exh. DX/1) की सामग्री का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि आरोपी सोतियों से

लैस थे और किसी भी आरोपी के गंडासों से लैस होने का कोई संदर्भ नहीं था और तदनुसार इस महत्वपूर्ण परिस्थिति को अभियोजन की कहानी को निरस्त करने हेतु पर्याप्त था। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी हुई। तदनुसार, ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

6. उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की पुनः समीक्षा के बाद पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई थी। उच्च न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को भी उलट दिया क्योंकि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) की घटना स्थल पर उपस्थिति पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति बिल्कुल स्वाभाविक थी और उनके पास अपराध स्थल पर उपस्थित होने का अच्छा कारण था। उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर भरोसा किया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आरोपी गंडासों और डैंगस से लैस थे। उच्च न्यायालय ने पाया कि डी.डी.आर. (Exh. DX/1) मूल की फोटोकॉपी है जिसे अदालत में पेश नहीं किया गया था। विदित हो कि अभियोजन पक्ष ने दिनांक 22.9.1993 को अपना साक्ष्य बंद कर दिया था और उसके बाद सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए गए थे और उसके बाद ही आरोपियों ने अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और इकबाल

राय (पी.डब्ल्यू.-7) जिन्होंने डी.डी.आर. (Exh. DX/1) रिकॉर्ड किया था, को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया था जिसे ट्रायल कोर्ट ने अनुमति दी थी। साक्ष्य बंद होने के लगभग 4 साल बाद आवेदन का आदेश दिया गया था। हालाँकि, सबूतों की सराहना करने पर उच्च न्यायालय ने पाया कि डी.डी.आर. (Exh. DX/1) में की गई तथाकथित प्रविष्टि से अभियोजन मामले में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, चूंकि इकबाल राय (पी.डब्ल्यू.-7) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले दर्ज की गई थी और डीडीआर में प्रविष्टियाँ उसके बाद की गई थीं। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें तेज धारदार हथियार से लगाई गई थीं, जिसका समर्थन चिकित्सा साक्ष्य से मिलता है। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष में कहा:

> "नेत्र संस्करण के अनुसार, चोटें 1,3 और 4 कटे हुए घाव हैं, जो कथित तौर पर आरोपी गुरचरण सिंह और मिट्ठू द्वारा लगाए गए थे और चोट नंबर 2 गुरचरण सिंह द्वारा लगाए गए थे, जबकि चोट नंबर 5 के संबंध में मुख्तियार सिंह आरोपी को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि चोट संख्या 6 किसने पहुंचाई थी, जिसका पता पोस्टमार्टम जांच के समय डॉ. के.एस. रायखी (पी.डब्ल्यू.-1) ने लगाया था। हम यह भी देखते हैं कि गंडासों एक काटने वाला हथियार है जिसके साथ एक

लाठी जुड़ी होती है। इसलिए, यह संभव है कि चोट पहुंचाने के दौरान लाठी के रूप में गंडासों का भी इस्तेमाल किया गया हो। मुख्तियार सिंह, जो डांग से लैस था, को 3 सेमी x 3 सेमी आकार का एक साधारण घाव कारित करने का जिम्मेदार बताया गया है। इसलिए, वह वर्ष 1989 में हुई एक घटना के लिए बरी किए जाने के खिलाफ अपील में कुछ लाभ का दावा करने का हकदार है। गुरदयाल सिंह निहत्थे थे और उनके लिए केवल एक ललकारा हेतु जिम्मेदार ठहराया गया है। सुरक्षित रहने के लिए, उसके साथ भी मुख्तियार सिंह की तरह ही निपटा जाना चाहिए।"

हम तदनुसार मुख्तियार सिंह और गुरदयाल सिंह की अपील को खारिज करते हैं। हालाँकि, हम पाते हैं कि गुरचरण सिंह और मिट्ठू के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित हुआ है। उनकी अपील स्वीकार की जाती है। गुरचरण सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जबकि मिट्ठू सिंह को धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। उन्हें आजीवन कारावास और रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक को 5,000/-रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। यदि जुर्माना अदा किया जाता है तो वह मृतक की विधवा तेज कौर को दिया जाएगा।

7. यह अपील अकेले मिठू सिंह (ए-4) द्वारा की गई है।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डी.डी.आर. में की गई प्रविष्टियाँ जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आरोपी सोटियों से लैस थे, अभियोजन की कहानी को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। विद्वान वकील ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि प्रविष्टियाँ सबसे पहले अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर डी.डी.आर. में की गई थीं और उसके बाद ही आरोपियों को फंसाने के लिए सुधार करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि घटना स्थल पर अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है क्योंकि जब मृतक पर हमला किया जा रहा था तो उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। यह भी तर्क दिया गया कि दो चोटें सामान्य प्रकृति की थीं, जिनमें से एक का आरोप यहां अपीलकर्ता द्वारा लगाया गया था और इसलिए, मृतक को मारने के किसी भी सामान्य इरादे का कोई सबूत नहीं है।

9. पंजाब राज्य के विद्वान वकील ने तर्क किया कि सामान्य इरादा इस तथ्य से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता घातक हथियार से लैस था और यह मृतक के शरीर पर अपीलकर्ता द्वारा पहुंचाई गई चोटों की प्रकृति के बारे में

महत्वहीन है। विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का समर्थन किया।

10. हमने अपील की सुनवाई के दौरान की गई दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया है।

11. हम पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के संबंध में विवाद से निपटेंगे। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि घटना दिनांक 06.05.1989 को शाम 7.00 बजे गांव लोंगोवाल में हुई थी। गांव और थाने के बीच की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। यह अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और गुरचरण सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) के साक्ष्य में है कि उन्होंने गंभीर रूप से घायल हरनेक सिंह को तुरंत अपने फार्म हाउस और उसके बाद बैलगाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लोंगोवाल ले जाया गया और वहां रात 9.10 बजे पहुंचे। घायलों की देखभाल करने वाले डॉ. राकेश जैन (पी.डब्ल्यू.-6) ने रात 9.25 बजे रुका (Exh. PN) को पुलिस स्टेशन लोंगोवाल भेजा। चोटों की गंभीर प्रकृति और पीड़ित की हालत को ध्यान में रखते हुए डॉ. राकेश जैन (पी.डब्ल्यू.-6) ने घायलों को सिविल अस्पताल, संगरूर रेफर कर दिया। इस संबंध में डॉ. राकेश जैन (पी.डब्ल्यू.-6) के साक्ष्य निर्विवाद हैं और उनके साक्ष्य के किसी भी हिस्से पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। यह अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) ही थे जो घायलों को लोंगोवाल के सिविल अस्पताल और उसके बाद संगरूर के

अस्पताल ले गए जहां घायल ने दम तोड़ दिया। इसके बाद ही अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) अस्पताल से पुलिस स्टेशन गए जो लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) न केवल अपराध स्थल पर मौजूद थे, बल्कि घायलों के साथ सिविल अस्पताल, लोंगोवाल और उसके बाद संगरूर के अस्पताल भी गए। हरनेक सिंह की अस्पताल में मृत्यु हो जाने के बाद ही अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) दिनांक 7.5.1989 को सुबह 1.15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए। पुलिस द्वारा भेजी गई विशेष रिपोर्ट सुबह 5.00 बजे इलाक़ा मजिस्ट्रेट के पास पहुंची। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एफआईआर उस समय दर्ज की गई थी जब इसे दर्ज किया जाना बताया गया था, अदालतें आम तौर पर कुछ बाहरी जांचों की तलाश करती हैं। जाँचों में से एक इलाक़ा मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर की प्रति की प्राप्ति है, जिसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। इस मामले में समय से रिपोर्ट इलाक़ा मजिस्ट्रेट को मिल गई है दूसरी बाहरी जांच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, शव के साथ एफआईआर की प्रति भेजना और जांच रिपोर्ट में उसका संदर्भ देना। वर्तमान मामले में भी इस आवश्यकता का अनुपालन किया जाता है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 07.05.1989 को समय 1.15 बजे पुलिस स्टेशन, लोंगोवाल में दर्ज करने का उल्लेख है और यह प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण और संबंधित अधिकारियों को उनकी डिलीवरी के लिए विशेष

रिपोर्ट भेजने का भी उल्लेख करता है। इसके बाद, मल्कियत सिंह, ए.एस.आई. (पी.डब्ल्यू.-5) कुछ कांस्टेबलों और अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) के साथ सिविल अस्पताल, संगरूर पहुंचे जहां जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। घटनाओं के क्रम से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में कोई अस्पष्ट और अनुचित देरी हुई थी। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता कि एफआईआर समय से बाद की है और कुछ विचार-विमर्श के बाद अस्तित्व में लाई गई है।

12. हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि डी.डी.आर. (Exh. DX/1) में की गई प्रविष्टियां जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आरोपी सोटिस से लैस थे, अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट को गलत ठहराते हैं। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि डीडीआर की मूल प्रति अदालत में दाखिल नहीं की गई है और जो दाखिल की गई है वह केवल एक फोटोकॉपी थी और वह भी साक्ष्य बंद होने के चार साल बाद आरोपी के कहने पर दाखिल की गई है। इकबाल राय (पी.डब्ल्यू.-7) के बयान से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले दर्ज की गई और उसके बाद डी.डी.आर. दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों के आधार पर डी.डी.आर. दर्ज की गई थी। हमें यह समझना मुश्किल हो रहा है कि डी.डी.आर. में बिल्कुल अलग संस्करण कैसे पाया जाता है, जिसे डी.डी.आर. की फोटोकॉपी कहा जाता है। जाहिर तौर पर जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। यह तर्क कि

पंजाब पुलिस नियमों के तहत सूचना को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए और उसके बाद ही प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए, बिल्कुल अनुचित है। प्रासंगिक नियम कहता है:

> "धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक जानकारी को उस धारा में दिए गए अनुसार लिखित रूप में लिखा जाना चाहिए और उसके सार को पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए जो इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई पुस्तक है।"

नियम को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक जानकारी, यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसे लिखित रूप में बदल दिया जाएगा और उसका सार एक पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। इसे ऐसे प्रारूप में रखा जाना चाहिए जो निर्धारित किया जाए और उसके बाद ही पुलिस स्टेशन डायरी में रखा जाए।

13. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय XII पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियों से संबंधित है। किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित आरोपों की जांच पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई और संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी पर शुरू होती है।

यदि इस प्रकार प्राप्त या अन्यथा प्राप्त जानकारी से, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसी जानकारी एक संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है, तो या तो मामले की जांच स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को संहिता द्वारा प्रदान किये गये तरीके से जांच का निर्देश देगा। संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी के पंजीकरण और जांच की प्रक्रिया के संबंध में प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII द्वारा संरचित और विनियमित है। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया जाना आवश्यक है। पंजाब पुलिस नियम किसी भी तरह से आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। उक्त नियम राज्य में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए हैं और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के पूरक हैं, लेकिन उनका स्थान नहीं लेते हैं। हमारी सुविचारित राय में सभी मामलों में एफआईआर की सामग्री की सच्चाई और सत्यता का परीक्षण पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी में की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है, जिसे पंजाब पुलिस नियमों के तहत बनाए रखा जाता है। इस टाले जा सकने वाले विवाद से हमें और अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि जांच में पाई गई कोई खामी, भले ही गंभीर हो, का संज्ञान या मुकदमे से संबंधित क्षमता या प्रक्रिया पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। जांच में

कोई दोष या प्रक्रियात्मक अनियमितता, यदि कोई हो, तो ऐसी गलत जांच के आधार पर मुकदमे को ख़राब या रद्द नहीं किया जा सकता है।

14. अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) ने स्पष्ट और स्पष्ट रूप से कहा कि डी.डी.आर. में प्रविष्टियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई थीं। साक्ष्य बंद होने के चार साल बाद अदालत में पेश की गई डी.डी.आर. की फोटोकॉपी पर भरोसा करना मुश्किल है। मूल डी.डी.आर. के भाग्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। डी.डी.आर. में की गई प्रविष्टियों के आधार पर एफ.आई.आर. के समय और सामग्री पर संदेह करना संभव नहीं है। हमें दस्तावेज़ डी.डी.आर. की वास्तविकता पर गंभीर संदेह है। हम मामले के इस पहलू पर और कुछ नहीं कहना चाहते।

15. हमारी सुविचारित राय में यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने घटना को नहीं देखा। तर्क यह था कि अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) ने हरनेक सिंह को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया था जब उस पर आरोपियों द्वारा हमला किया जा रहा था। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और मृतक हरनेक सिंह लगभग अपने घर पहुंच चुके थे, जब आरोपियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया था। अपीलकर्ता और गुरचरण सिंह (ए-3) गंडासों से और मुख्तियार सिंह (ए-1) डैंग से लैस थे।

जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा, इसके लिए एक सार्वभौमिक मानदंड लागू करना लगभग असंभव होगा। अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) और गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) की उपस्थिति पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने मृतक को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया है। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आरोपी घातक हथियारों से लैस थे और उन्होंने पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 को उस समय पीड़ित को बचाने का कोई भी प्रयास करने से रोका होगा जब उस पर हमला हो रहा था।

16. यह सच है कि गुरमेल सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) शव पर लगी चोटों की स्थिति के बारे में सटीक रूप से बताने में सक्षम नहीं था, लेकिन इससे उसकी उपस्थिति संदिग्ध नहीं होगी। पीड़ित पर घातक हथियारों से लैस व्यक्तियों के एक समूह ने हमला किया था। उसने खुद को हमले से बचाने के प्रयास किए होंगे और इस प्रक्रिया में एक या दूसरे रास्ते पर आए बिना स्थिर नहीं रहा होगा। कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसी स्थिति में गवाह चोटों की प्रकृति का रेखांकन करेगा और पीड़ित के शरीर पर चोटों की स्थिति को सटीक रूप से बताएगा। अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति प्रथम सूचना रिपोर्ट से ही स्पष्ट है जो स्वयं अमर सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) द्वारा दर्ज की गई थी। तथ्य यह है कि हरनेक सिंह को चारों आरोपियों ने बंधक बना लिया था और उसके बाद उस पर गंडासे और डैंग से कई वार किए।

17. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि डॉ के.एस. रायखी (पी.डब्ल्यू.-1) ने पोस्टमार्टम के समय शव पर छह चोटें पाई थीं। शरीर पर पाए गए चोटें इस प्रकार थीं:

1. दाहिनी पार्श्विका पर 12 सेमी x 5 सेमी x हड्डी गहरा कटा हुआ घाव- अस्थायी क्षेत्र, घाव पर तिरछी हड्डी का कटाव और मस्तिष्क का पदार्थ और घाव के माध्यम से फैला हुआ मेंगिस; घाव पर गहरे रंग का जमा हुआ खून मौजूद था। विच्छेदन पर अंतर्निहित हड्डी को काटा गया, मेंगिस को काटा गया। घाव हेमेटोमा के माध्यम से फैला हुआ मस्तिष्क पदार्थ मौजूद था।

2. बाएं क्लीविकुलर क्षेत्र पर 3 सेमी x 2 सेमी का फटा हुआ घाव। घाव त्वचा तक गहरा था. विच्छेदन करने पर अंतर्निहित हड्डी बरकरार थी। हेमेटोमा मौजूद था।

3. बायीं बांह के पिछले पार्श्व भाग पर कलाई के जोड़ से 2 सेमी ऊपर 3 सेमी x 2 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव। गहरे रक्त का थक्का मौजूद था। विच्छेदन करने पर अंतर्निहित हड्डी बरकरार थी, हेमेटोमा मौजूद था।

4. बाएं पैर के पूर्व पार्श्व पहलू पर 10 सेमी x 3 सेमी x हड्डी की गहराई में कटा हुआ घाव, घाव घुटने के जोड़ से 3 सेमी नीचे तिरछा रखा गया है। घाव में गहरे रंग का खून का थक्का जम गया था। विच्छेदन

करने पर अंतर्निहित टिबिया हड्डी को काट दिया गया। हेमेटोमा मौजूद था।

5. टिबियल ट्यूबरोसिटी के नीचे 10 सेमी नीचे बाएं पैर के पूर्वकाल पहलू पर 3 सेमी x 3 सेमी x त्वचा गहरा फटा हुआ घाव। गहरे रक्त का थक्का मौजूद था। विच्छेदन करने पर अंतर्निहित हड्डी बरकरार थी।

6. टिबिअल ट्यूबरोसिटी के नीचे 3 सेमी नीचे दाहिने पैर के पूर्ववर्ती पार्श्व पहलू पर 4 सेमी x 2 सेमी x हड्डी गहरा फटा हुआ घाव। गहरे रक्त का थक्का मौजूद था। विच्छेदन करने पर अंतर्निहित हड्डी बरकरार थी।

पी.डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य में यह है कि गुरचरण सिंह ने पीड़ित के सिर पर गंडासों मारकर नंबर 1 को चोट पहुंचाई और जबकि अपीलकर्ता ने उसके दाहिने पैर पर घुटने के नीचे गंडासों मारकर नंबर 3 और 4 चोट पहुंचाई। गंडासों के उल्टे हिस्से से छाती के बायीं ओर एक और वार किया। अपीलकर्ता गंडासों नामक घातक हथियार से लैस था। डॉ. के.एस. रायखी (पी.डब्ल्यू.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा कि मौत का कारण सदमा और रक्तस्राव था और सभी चोटें एट-मॉर्टम प्रकृति की थीं। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि चोट संख्या 1 ही प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

18. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलकर्ता द्वारा पहुंचाई गई चोटें पीड़ित की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं

थीं और इसलिए, मारने का सामान्य इरादा स्पष्ट नहीं है और इसलिए, उसे आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं। पीडब्लू-3 और 4 के प्रत्यक्ष गवाहों के साक्ष्य सुसंगत हैं और उन्होंने गवाही दी थी कि अपीलकर्ता ने मृतक को मारने के लिए गंडासों से चोटें पहुंचाई थीं। यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने घातक हथियार से चोटें पहुंचाईं, यह दर्शाता है कि उसने भी समान इरादा साझा किया था। धारा 34 के तहत व्यक्ति को परोक्ष रूप से दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने घातक चोटें पहुंचाने वाले ऐसे प्रत्यक्ष कार्य में लिप्त था। यह पर्याप्त है अगर रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि एक या अधिक अभियुक्तों का प्रत्यक्ष कार्य सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था या किये गये थे। अपीलकर्ता द्वारा साझा किया गया सामान्य इरादा इस तथ्य से स्पष्ट है कि वह घातक हथियार से लैस था और उसने पीड़ित को दो चोटें पहुंचाईं। सभी आरोपियों ने मृतक पर हमला किया और मृतक की हत्या के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए उसे चोटें पहुंचाईं। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित को पहुंचाई गई चोटों की प्रकृति और क्या वे चोटें सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं, महत्वहीन हो जाती हैं। अपीलकर्ता कोई जिज्ञासु दर्शक नहीं था और वह उस हमलावर के साथ नहीं गया था जिसने किसी आदर्श जिज्ञासा के कारण घातक हमला किया था। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति

हत्या के उस कृत्य के लिए उत्तरदायी है जैसे कि हत्या का कार्य उनमें से प्रत्येक द्वारा किया गया था। यह सच है कि यदि उच्च न्यायालय ने इस तर्क को अपनाया होता तो मुख्तियार सिंह (ए-1) और गुरदयाल सिंह (ए-2) भी दोषसिद्धि से नहीं बच पाते। हालाँकि, हम मामले के उस पहलू पर कोई ठोस राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं क्योंकि राज्य द्वारा उनके बरी होने के खिलाफ कोई अपील नहीं है।

19. उपरोक्त कारणों से हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपील खारिज कर दी जाएगी।

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अभिमन्यु सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।